भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 402वीं एनओसी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - बोर्ड रूम, चौथी मंजिल , एएसआई बिल्डिंग

दिनांक और समय – 16 और 17 अगस्त, 2023 अपराह्न 02:30 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया;

- प्रोफेसर किशोर के. बासा, अध्यक्ष, एनएमए।
- श्री. टी.एन तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, एनएमए
- श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, एनएमए 16 अगस्त 2023 को प्रत्यक्ष रूप से और 17 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
- प्रो. एम. कैलासा राव, अंशकालिक सदस्य, एनएमए- दोनों दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
- श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, एनएमए।
- कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, एनएमए।

<u>मामला नंबर 01</u>

401वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

<u>एनओसी आवेदनों पर विचार</u>

<u>ऑनलाइन नए मामले:</u>

<u>मामला संख्या : 01</u>

(श्री गोपाल अशोक जाधाओ, मालीपुरा, लोनार टीक्यू-लोनार जिला-बुलढाणा 443302 , महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि फॉर्म-I, फॉर्म-II और कार्यस्थल निरीक्षण रिपोर्ट में ऊंचाई बेमेल थी; फॉर्म-II में तलक्षेत्र का उल्लेख नहीं है; आवेदक को वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी सही कार्यस्थल योजना के साथ आवेदक के नाम पर स्व-घोषणा/कानूनी हलफनामा और स्वामित्व दस्तावेज जमा कराने होंगे।

मामला संख्या : 02

(श्री पवन विंकर सोसायटी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, गणेश वार्ड, पौनी जिला भंडारा - 441910, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि फॉर्म-II में ऊंचाई का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आवेदक को दोबारा आवेदन जमा करते समय अपने नाम का स्व-घोषणा/कानूनी शपथ पत्र तथा स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

मामला संख्या: 03

(मैसर्स अदित्य रेजीडेंसी एलएलपी के श्री रोहित चौहान जीपीए, अपने निदेशक श्री मुकेश कुमार अग्रवाल के माध्यम से, बड़ी चौपाल के पास, छज्जू नगर पलवल, हरियाणा)

इस मामले पर पहले 23 मई 2023 को आयोजित 392वीं बैठक में विचार किया गया था और आवेदक को सही ऊंचाई दिखाते हुए सही कार्यस्थल योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और यह भी कि इसे वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा होना चाहिए। वर्तमान आवेदन पर विचार के बाद, मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया और आवेदक को सही ऊंचाई का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल योजना के साथ मामले को फिर से जमा करने के लिए कहा गया।

मामला संख्या: 04

(आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर, राजस्थान)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 05

(आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर, राजस्थान)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर प्राधिकरण के समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुति देने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या : 06

(इरप्पा बसप्पा भद्रपुर, कुम्हार ओनी, साई नगर रोड, उंकल, हुबली-580031)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या:07

(श्री भावेश भानुशाली एवं अन्य, मार्फत होटल भानु इन, होम गार्ड चौक, द्वारका, देवभूमि द्वारका)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण कोई भी सिफारिश करने से पहले एएसआई और सक्षम प्राधिकरण, गुजरात के स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित निर्माण स्थल का दौरा करेगा।

मामला संख्या: 08

(श्री ऋषिकुमार भानुशंकर पंड्या, भूखंड संख्या 2 गुरुदत्त सोसायटी, तलाजा, भावनगर)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीएस संख्या 1689, शीट नंबर 28, तलाजा, भावनगर, गुजरात में क्रमश: (1) 05.50 मीटर तथा (2) 12.20 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ (1) जीएफ और (2) जीएफ+1एफ+सीढ़ी केबिन के साथ (1)जीएफ = 128.68 वर्गमीटर और (2)जीएफ = 128.68 वर्गमीटर, 1एफ = 181.00 वर्गमीटर, सीढ़ी केबिन = 21.85 वर्गमीटर के साथ दो वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया । सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 09

(श्री त्रिवेदी हिनाबेन मुकेश कुमार, भट्ट चौक, तलाजा, भावनगर)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अपने नाम के स्वामित्व दस्तावेजों के साथ मामले को फिर से जमा करने के लिए कहते हुए इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 10

(मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर मंडल - पश्चिम रेलवे, भावनगर पैरा-364003 (गुजरात))

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में ढोलका, ढोलका रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद, गुजरात स्थित रेलवे संपत्ति में : 05.07 मीटर क्वार्टर- II: 09.72 मीटर, क्वार्टर- III: 04.96 मीटर, क्वार्टर- IV: 04.32 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन रूम, एचवीएसी सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ कार्यालय भवन जीएफ, क्वार्टर- II: जीएफ + 1 एफ, क्वार्टर- III: जीएफ, क्वार्टर- IV :जीएफ के साथ कार्यालय भवन: जीएफ = 887.87 वर्ग मीटर, क्वार्टर- II: जीएफ = 1 एफ = 340.97 वर्गमीटर, क्वार्टर-III:जीएफ = 60.39 वर्गमीटर, क्वार्टर-IV:जीएफ = 158.82 वर्गमीटर के साथ रेलवे अधिकारियों के लिए कार्यालय और कर्मचारी क्वार्टर के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की

रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या : 11</u>

(संपदा अधिकारी, अहमदाबाद नगर निगम (मनीष भाई मास्टर), अहमदाबाद नगर निगम, संपदा विभाग, तीसरी तल, "बी" बिल्डिंग, सरदार पटेल भवन, दानापीठ, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आरएसनंबर 1093, एफपी नंबर 49 और 117, टीपीएस नंबर 86.00 (वटवा-3), वटवा, अहमदाबाद, गुजरात में 16.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन के पेंट हाउस ढांचे आदि सहित) के साथ जीएफ + 2एफ + टेरेस फ्लोर के साथ जीएफ = 1एफ = 2एफ = 673.60 वर्गमीटर, छत वाला फर्श = 120.40 वर्गमीटर के साथ संस्थागत-स्वास्थ्य भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 12</u>

(श्रीमती रशीदाबानू शब्बीर भाई मेमन, (आरएस नंबर 38+39/ए/2+40+41/8), मोजे मकरबा रोड, बूरूज़ फ्लैट, पुलिस मुख्यालय के पास, मकरबा रोड, जुहापुरा, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सक्षम प्राधिकारी, गुजरात और एसए, एएसआई वडोदरा सर्कल से प्रस्तावित निर्माण स्थल और केंद्रीय संरक्षित स्मारक के बीच की दूरी को फिर से सत्यापित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

<u>मामला संख्या: 13</u>

(श्री शाम दमोदर आप्टे, पांडुरंग निवास, 1170/9, भाम्बुर्दा, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 1170/9, शिवाजी नगर भम्बुर्दा पुणे शहर, पुणे, महाराष्ट्र में 22.85 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ ग्राउंड / पार्किंग + 5 मंजिलो के साथ ग्राउंड/पार्किंग = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 5एफ = 220.45 वर्गमीटर (प्रत्येक तल) के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है । आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफ़लाइन नये मामले

मामला संख्या 01

(श्री राधेश्याम सिंह एवं श्रीमती पुष्पा सिंह, 277/4 बीटी रोड, मेघराज अपार्टमेंट, बारानगर, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700036)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर तक (सब मिलाकर) सीमित रखने के लिए और दोनो आवेदको/स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा जमा करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 02

(श्री सुभाष चन्द्र सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल सिंह, एन.बी. 53/17, मध्मेश्वर दारानगर वाराणसी-221001)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में अर्ज़ी संख्या 188 मौजा-घुरहुपुर, सारनाथ परगना-शिवपुर, पिन -221007 में 07.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान का पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 409.14 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी (यूपी) की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री मनोज कुमार यादव एवं श्रीमती मीरा यादव, धौरहरा कादीपुर कुर्द, चौबेपुर तहसील-सदर वाराणसी-221104)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में अर्ज़ी संख्या 109, मौजा-गंज परगना-शिवपुर, वाराणसी में 09.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत के बगीचे की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिलो के साथ जीएफ = 1 एफ = 103.02 वर्गमीटर, 2एफ = 76.27 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी (यूपी) की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री राजेश कुमार यादव एवं श्री ब्रिजेश कुमार यादव, एसए 10/87, ए गंज सारनाथ वाराणसी-221007)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में अर्ज़ी संख्या 108, मौजा-गंज, सारनाथ परगना-शिवपुर, पिन -221007 में 09.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत के बगीचे की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1 एफ = 31.66 वर्गमीटर, 2एफ = 23.02 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी (यूपी) की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री रामकृष्ण गुडप्पा कुरुवर, कामनागल्ली, बनवासी पोस्ट, सिरसी तालुक, उत्तर कन्नड़ जिला-581318)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में क्र.सं. 9999/ प्लॉट नं.337, बनवासी, में 5.10 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 62.67 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री अरुण बी सरसंबी, अल अमीन के सामने, अथानी रोड, सैनिक स्कूल हाउसिंग सोसाइटी, नवरसुर, विजयपुर जिला)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीटीएस नंबर 1293/5, प्लॉट नंबर 05, महलबगायत, विजयपुरा में 7.50 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ= 67.487 वर्गमीटर, 1एफ= 75.789 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या :07

(श्री सुरेश यमनप्पा गंगानल्ली, अदाकी गली, विजयपुर जिला-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 6, 7 और 8, आरएस नंबर 381, महलबगायत, विजयपुरा में 12.20 मीटर की ऊंचाई (जमीनी स्तर से ऊपर) (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान का पेंट हाउस संरचना आदि) के साथ तलघर + जीएफ + 2 तलों के साथ तलघर = 174.72 वर्गमीटर, जीएफ + 1एफ + 2एफ = 208.79 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 1.20 मीटर (जमीनी स्तर से नीचे) के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या. 08

(श्रीमती रत्नाबाई पत्नी गुरुनाथ बेंकी, कन्नड़ स्कूल के पीछे, विट्ठल मंदिर के पास, खाजा अमीन दरगाह, विजयपुर जिला-586103)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 10.80 मीटर तक (सब मिलाकर) सीमित रखने के लिए कहते हुए इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या.09

(श्री सुरेश यमनप्पा गंगानल्ली, अदाकी गली, विजयपुर जिला-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 1, 9, 10 और 11, आरएस नंबर 381, महलबगायत, विजयपुर में 12.35 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ तलघर + जीएफ + 2 तलों के साथ तलघर = 282.92 वर्गमीटर, जीएफ + 1एफ + 2एफ = 282.92 वर्गमीटर, तलघर की गहराई = 1.20 मीटर (जमीनी स्तर से नीचे) के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्री गिरिराज सुपुत्र साहेबगौड़ा रोडगी, मार्फत बाबूजी रावसाहेब नायकोडी, मकान नंबर 77, बासुरी बिल्डिंग, सुभाष कॉलोनी, हकीम चौक के पास, विजयपुर जिला - 586104)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 83, सीटीएस नंबर 1292ए, विजयपुर सिटी (सीटीएस), विजयपुर जिले में 10.00 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन आदि की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ जीएफ + 2 तलो के साथ जीएफ = 53.10 वर्गमीटर, 1एफ = 66.85 वर्गमीटर, 2एफ = 39.44 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री नूरनदय्या पुत्र मदिवलय्या गविमठ और श्री रचाय्या पुत्र मदिवलय्या गविमथ, बड़ी कमान रोड, कमान खान बाजार, विजयपुर जिला-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में वार्ड नंबर V, सीटीएस नंबर 860/सी, विजयपुर में 8.55 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1एफ = 70.73 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री सुरेश यमनप्पा गंगानल्ली, अदाकी गली, विजयपुर जिला-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 2,3,4 और 5, आरएस नंबर 381, महलबगायत, विजयपुर में 12.35 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ तलघर + जीएफ + 2 तलों के साथ तलघर = 444.41 वर्गमीटर, जीएफ = 1एफ = 2एफ = 441.20 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 1.50 मीटर (जमीनी स्तर से नीचे) व्यवसायिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के

साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 13

(श्री जयवंत सुपुत्र परशुराम चालवाड़ी, हासिंपीर दरगाह रोड, गांधी नगर, विजयपुर जिला-586104)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 29 सीटीएस नंबर 1292बी, विजयपुर सिटी (सीटीएस), विजयपुर जिला में 10.00 मीटर की ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन आदि की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ जीएफ + 2 तलों के साथ जीएफ = 53.10 वर्गमीटर, 1एफ = 66.85 वर्गमीटर, 2एफ = 39.44 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला संख्या 14

(श्रीमती यास्मीन बानू पत्नी सयादु साहेब बसानाकोप्पा, गुडिकेरी ओनी, हंगल, हावेरी जिला 581104)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में वीपीसी नंबर 175, हंगल, हंगल तालुक, हावेरी जिला – 581104 में 4.57 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट आदि सहित) के साथ ग्राउंड फ्लोर के साथ जीएफ = 57.47 वर्गमीटर आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(श्री उमेश, पुत्र भीमाराय सज्जन, जेएम रोड, बगायत गली, विजयपुर जिला-586104)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में क्र.सं. 247बी, प्लॉट क्रमांक 20, वार्ड क्रमांक 6ए, बन्नाड लेआउट, महलबगायत, विजयपुर में 7.45 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 87.50 वर्गमीटर, 1एफ = 100.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की

रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए

मामला संख्या 16

(श्री प्रकाश कुमार के जैन, श्री छगनलाल के जैन, श्री तेजराज के जैन, श्री लीलचंद के जैन, मठपति गली, विजयपुर जिला-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद, मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने पहले ही प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना चौथे तल तक इमारत का निर्माण कर लिया है और एएमएएसआर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियम बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए एसए, एएसआई धारवाड़ सर्कल द्वारा ''कार्य रोको नोटिस'' जारी किया गया था। ।

मामला संख्या 17

(श्रीमती पूजा पत्नी श्रीशैल मथापति, मार्फत कर्नाटक ग्रेप ग्रोअर्स एसोसिएशन, एपीएमसी, दूसरा मुख्य गेट कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 40, इंडी रोड, विजयपुर जिला-586101)

आवेदन विचार करने के बाद, इस मामले में क्र. सं. नंबर-838के, प्लॉट नंबर 211, अंबाभवानी मंदिर के पास, एनजीओ कॉलोनी, जेल दरगाह रोड, महलबगायत, विजयपुर कर्नाटक में 7.90 मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन आदि की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 52.33 वर्गमीटर, 1एफ = 66.92 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 18

(श्री के. शेखरप्पा, पुत्र बी कल्लप्पा, अमृतपुरा गांव और पोस्ट, तारिकेरे तालुक, चिकमगलुरु जिला-577228)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.90 मीटर तक (सब मिलाकर) सीमित रखने के लिए कहते हुए इस मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 19

(श्री पंचाक्षरप्पा बी, पुत्र बसवराजप्पा, बल्लीगारा केरी, बल्लीगारी पोस्ट, शिकारीपुरा तालुक, शिमोगा जिला-577428)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को तलक्षेत्र का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल योजना फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला संख्या 01

(श्रीमती सुनीता जोशी, 2/22, सर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या -22, स्ट्रीट नंबर -2, सर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली -110016 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ तलघर + स्टिल्ट + जीएफ + 3 तलों के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2 एफ = 3 एफ = 147.99 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.50 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री निर्लेप कुमार, भूखंड संख्या-394, खसरा नंबर-364 एवं 365, ग्राम मस्जिद मोठ, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या -394, खसरा नंबर-264 और 265 ग्राम मस्जिद मोठ, नई दिल्ली-110049 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि) के साथ तलघर + स्टिल्ट + जीएफ + 3 तलों के साथ तलघर = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 67.79 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 2.90 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री अशोक सेठी, श्रीमती सुमन अग्रवाल और वीएनजे प्रमोटर एलएलपी अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विशाल शर्मा, 3/49, रूप नगर, दिल्ली के माध्यम से)

दिनांक: 16.08.2023 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन और कानूनी शपथ पत्र पर विचार करने के बाद, भूखंड संख्या 3/49, रूप नगर, दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 तलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 127.456 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए इस मामले में एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री काबुल चावला और आईएसजी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 7, अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया:

1) स्वामित्व दस्तावेजों के समर्थन में, आवेदक ने स्थायी पट्टे की एक प्रति प्रस्तुत की है जो वर्ष 1939 की है; यह संपत्ति पर उसके स्वामित्व के दावे का समर्थन नहीं करती है।

2) उक्त स्थायी पट्टे पर वही पता नहीं है जो प्रस्तावित निर्माण स्थल का है।

3) प्रस्तावित निर्माण स्थल विनियमित क्षेत्र में आने के अलावा, लुटियंस बंगला जोन (एलबीजेड) के अंतर्गत भी आता है, अतः किसी भी निर्माण के लिए इस पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देश लागू होते हैं जिसके तहत आवासीय भवन की ऊंचाई 12 मीटर तक सीमित है, इस प्रकार सीए, दिल्ली कृपया प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करते समय अपनी टिप्पणी दे।

मामला संख्या 05

(श्री केशरी नंदन लुहारीवाला अपने जीपीए, सी-45, ग्राउंड फ्लोर, शिवालिक, नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद संदर्भित संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व के अभाव में मामले को खारिज करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों से इसका स्वामित्व स्थापित नहीं किया जा सका है। फॉर्म-I के अनुसार आवेदक श्री केशरी नंदन लुहारीवाला हैं। जबकि 15.10.2018 के विक्रय विलेख से इंगित होता है कि उक्त संपत्ति उनकी

पत्नी श्रीमती निर्मला देवी ने अपने वकील श्री केशरी नंदन लुहारीवाला, जो उनके पति भी हैं, के माध्यम से श्री जीएस जुनेजा और श्री. दिनेश अरोड़ा को बेची थी, जिनके पास उक्त संपत्ति की श्री केशरी नंदन लुहारीवाला, द्वारा निष्पादित उसी तारीख यानि 15.10.2018 की जीपीए भी है।

इसके अलावा, स्व-घोषणा फॉर्म में संपत्ति का पता भी संदर्भित संपत्ति से अलग है।

मामला संख्या 06

(डॉ. रामकिशोर अग्रवाल, अध्यक्ष, राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को संशोधित कार्य-स्थल योजना और Google मानचित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ भवन संख्या 31 और 34 की अधिकतम ऊंचाई 18 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेजने का निर्णय लिया गया ।

विशेष कार्य-सूची मामला :

मामला संख्या 01

(मैसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कदमलाईपुथुर गांव, मदुरंतकम तालुक, चेंगलपेट जिला, तमिलनाडु) में अपनी जमीन पर सर्वे नंबर एस-218/1,218/2,218/5,218/6ए,218/6बी2, 218/7,226/1,234, 235 और 236/5सी के साथ एक अतिरिक्त फैक्ट्री भवन के निर्माण के लिए।

इस वर्तमान प्रस्ताव पर पहले प्राधिकरण द्वारा 18.04.2023 को आयोजित अपनी 388 वीं बैठक में विचार किया गया था और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20सी (2) के उल्लंघन के कारण इसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि, मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से एएमएएसआर (सीए) नियम 2011 के नियम 14 के तहत संस्कृति मंत्रालय से अपील की। इसके बाद, डब्ल्यूटीएम ने 04 अगस्त, 2023 को कार्य-स्थल का निरीक्षण किया और मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्रा.लि. लिमिटेड ने प्राधिकरण के समक्ष एक पावरप्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। प्राधिकरण ने प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए और मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ उचित विचार-विमर्श करके निम्नलिखित आधारों पर अपने पहले के निर्णय की समीक्षा करने का निर्णय लिया:

(I) प्रस्तावित निर्माण स्थल केंद्रीय संरक्षित स्मारक (सीपीएम) से 105 मीटर की दूरी पर है। त्रिची-चेन्नई-4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 45 प्रस्तावित निर्माण स्थल और सीपीएम को अलग करता है। यह राजमार्ग प्रतिषिद्ध क्षेत्र से होकर गुजर रहा है जो निर्माण स्थल और सीपीएम के बीच एक प्रभावी बफर के रूप में कार्य करता है। यह सीपीएम के लिए किसी भी दृश्यता बाधा को भी बेअसर करता है।

(II) प्रस्तावित निर्माण अर्थात दूसरा चरण भवन के पहले चरण का विस्तार है जिसका निर्माण एएमएएसआर (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 2010 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप एनएमए की स्थापना से पहले 2009-10 में किया गया था, इसलिए सीपीएम के आसपास कार्य-स्थल के होने के कारण कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं थी।

(III) मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले भंडारण टैंकों के निर्माण में लगी हुई है, के मौजूदा विस्तार से एक वर्ष में 170 टैंकों की मौजूदा क्षमता से विनिर्माण क्षमता को 400 भंडारण टैंकों तक बढ़ाया जा सकेगा। यह कोविड-19 की पृष्ठभूमि में बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम होगा।

(IV) तमिलनाडु सरकार ने जीओ (एमएस) संख्या 247 उद्योग (एमआईबी.1) विभाग दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड को योग्य अचल संपत्तियों में 70 करोड़ रुपये के निवेश के लिए और 90 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया है।

(V) मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022, जो भारतीय पुरातत्व और प्राचीन विज्ञान अकादमी (एएएसएआई) द्वारा तैयार की गयी है, का कहना है कि सीपीएम के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर संरचनात्मक गतिविधियों ने पुरातात्विक अवशेषों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

(VI) वर्तमान अतिरिक्त फैक्ट्री भवन में केवल 90 सेमी की ऊंचाई का सिविल निर्माण शामिल है, जिस पर नट और बोल्ट की मदद से एक प्रतिवर्ती धातु संरचना खड़ी की जाती है। जरूरत पड़ने पर इसे विघटित भी किया जा सकता है।

(VII) मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पहले किए जा चुके निर्माण के लिए एएसआई द्वारा जारी कोई रोक या कारण बताओ नोटिस रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।

2. उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव के फॉर्म-II के खंड 9 में दिये गए ब्योरे के अनुसार समग्र लोक हित को ध्यान में रखते हुए एएमएएसआर(सीए) नियम 2011 के नियम 6(1) के तहत आने वाले कदमलाईपुथुर गांव, मदुरंतकम तालुक, चेंगलपेट जिला, तमिलनाडु में उनकी भूमि के लिए उचित परिश्रम के बाद चरण II में अतिरिक्त फैक्ट्री भवन (अन्य सहायक सुविधाओं के साथ) के निर्माण और मेसर्स क्रायोलोर द्वारा चरण I में निर्मित मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के लिए एनओसी देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। हालाँकि, यह इन शर्तों के अधीन होगा कि (क) यदि पुरातात्विक अवशेष या कलाकृतियाँ खोजी जाती हैं, तो काम तुरंत रोक दिया जाएगा और मामले की सूचना एएसआई को दी जाएगी; (ख) मेसर्स

क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड परियोजना को निष्पादित करते समय स्थानीय उपनियमों का पालन करेगा; (ग) प्रस्तावित भवन का रंग कार्य-स्थल के अनुरूप होना चाहिए और गहरे रंग वाले रंगों से बचना चाहिए; और (घ) मेसर्स क्रायोलोर एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड अपनी सीएसआर गतिविधि में "धरोहर को अपनाएं योजना" के तहत, खंडहर हो चुके मंदिर, जिसके अवशेष प्रस्तावित निर्माण स्थल के पास गांव में देखे जाते हैं, को बहाल करने जैसे सीपीएम के आसपास के क्षेत्र को उसके रखरखाव और विकास के लिए अपनाने पर विचार करे।